पंजाब नेशनल बैंक

बनाम

एम. एल. कालरा और अन्य

30 जनवरी, 2008

[न्यायाधिपति, एस. बी. सिन्हा और न्यायाधिपति, हरजीत सिंह बेदी]

सेवा कानून-पेंशन-सेवा से बर्खास्तगी सेवानिवृत्ति की तारीख-अस्थायी पेंशन का भुगतान-सेवानिवृत्ति की तारीख से बर्खास्तगी के आदेश की तारीख तक- विभागीय अपील निपटारे के आदेश की तारीख तक के लिए दावा- निर्णय: कर्मचारी बर्खास्तगी के आदेश की तारीख तक अस्थायी पेंशन का हकदार है न कि जब तक विभागीय अपील के निपटारे के आदेश-पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979-विनियम 20(3)(iii)-पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995-विनियम 22 (1)।

प्रत्यर्थी-कर्मचारी के खिलाफ विनियमन 20 (3) (iii) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। इस दौरान 30.11.1994 को प्रत्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ था। इसके बाद विभागीय कार्यवाही पूरी की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 22.3.1996 को बर्खास्तगी आदेश पारित किया। आदेश के खिलाफ अपील

6.3.1997 को खारिज कर दी गई थी। इस दौरान, प्रत्यर्थी को पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 46 के अनुसार अस्थायी पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से उनकी बर्खास्तगी की तारीख तक किया गया था। प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर कर अपनी अपील के निपटारे की तारीख तक अस्थायी पेंशन का दावा किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुमति दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस आदेश की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई विभागीय थी न कि अनुशासनात्मक। इसलिए बर्खास्तगी का आदेश एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय का निर्णय: वर्तमान विवाद के संदर्भ में, विभागीय कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बीच कोई अंतर नहीं है। जब बर्खास्तगी या हटाने का आदेश पारित किया जाता है, विनियमन 22 का खंड (1) लागू होगा। किसी कर्मचारी की सेवाओं को वैध रूप से केवल एक बार समाप्त किया जा सकता है। केवल इसलिए कि सेवाओं से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील की गई है इप्सो फैक्टो यह मतलब नहीं होगा कि वही एनिमेटेड निलंबन के तहत रहेगा। [अनुच्छेद 10,12 और 13]

सिंडिकेट बैंक लिमिटेड बनाम के. आर. वी. भट 1998 (1) एस. सी. आर. 327; पी. एच कल्याणी बनाम मेसर्स एयर फ्रांस कलकत्ता 1964 (2) एससीआर 104; रमेश चंद्र शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य 2007 (8) स्केल 240 पर भरोसा किया।

महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रभान टेल 183 (3) एस. सी. सी. 287; भारत संघ और अन्य जे. अहमद 1979 (2) एससीसी 286 -विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4837/2005

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के एस.एल.पी. ए. सं. 336/2003 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.09.2003 से।

ए. शरण, ए. एस. जी., यशराज सिंह देवड़ा, हर्षवर्धन झा और अवधेश कुमार सिंह (मेसर्स के. एल. मेहता एंड कंपनी के लिए) -अपीलार्थी के लिए।

अंभोज कुमार सिन्हा और अशोक भल्ला- प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति, एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की तुलना में पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (संक्षेप में पेंशन विनियम) के प्रावधानों

की व्याख्या है। जो 2002 के एलपीए संख्या 336 में पारित नई दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुआ है।

2. यहां प्रत्यर्थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी था। 4 सितंबर, 1993 को या उसके आसपास उक्त बैंक को अपीलार्थी बैंक के साथ मिला दिया गया था। 19 अगस्त, 1993 को प्रत्यर्थी के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया गया था। वह 30 नवंबर, 1994 को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया। अपीलार्थी द्वारा हालांकि, नेशनल बैंक के विनियमन 20 (3) (iii) पर भरोसा करते हुए या उसके आधार पर (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी रही। 1 अगस्त, 1995 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इसे पूरा किया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 22 मार्च, 1996 को प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करते हुए सजा का आदेश पारित किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया: -

> "पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(3)(iii) के प्रावधानों को दिनांक 23.11.1994 के पत्र द्वारा लागू किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ श्री कालरा को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हालांकि वह 30.11.1994 (सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर) बैंक की सेवा में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जैसे कि वह सेवा में था, जब तक कि

अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते और कार्यवाही समाप्त होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक वह सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार नहीं होंगे, सीपीएफ में उनके स्वयं के योगदान को छोड़कर। श्री कालरा को सेवांत लाभ का भुगतान, यदि कोई हो तो, 'बर्खास्तगी के उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।"

3. अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील को 6 मार्च, 1997 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था: -

"बोर्ड ने मामले के रिकॉर्ड के साथ श्री एमएल कालरा द्वारा प्रस्तुत अपील के आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और विस्तृत चर्चा के बाद पाया कि याचिकाकर्ता ने योग्यता के आधार पर कोई मामला सामने नहीं लाया है, जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इस प्रकार, बोर्ड ने सेवा से बर्खास्तगी के बड़े दंड की सजा की पुष्टि करने का निर्णय लिया, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा श्री एमएल कालरा पर लगाए गए भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी। श्री एमएल कालरा को तदनुसार सूचित किया जाए"।

4. इस दौरान, प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति की तारीख से बर्खास्तगी की तारीख यानी 22 मार्च, 1996 तक पेंशन विनियमों के विनियम 46 के संदर्भ में अस्थायी पेंशन का भुगतान किया गया था।

5. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वह 6 मार्च, 1997 तक अर्थात् अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसकी अपील के निपटान तक उक्त अस्थायी पेंशन के भुगतान का हकदार था। उक्त आधार पर उनके द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 22 फरवरी, 2002 के एक आदेश द्वारा निर्देश दिया कि जिस अवधि के दौरान अपील लंबित थी, उस अवधि के लिए अस्थायी पेंशन की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाए। अपीलार्थी द्वारा दायर एक इंट्रा-कोर्ट अपील को उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने आक्षेपित फैसले के आधार पर खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के समर्थन में महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रभान मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया: (1983) 3 एससीसी 387.

6. श्री अमरेंद्र शरण, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपील के समर्थन में कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारीद्वारा पारित एक आदेश में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हुई और मामले के उस दृष्टिकोण में, उक्त

आदेश को अस्थायी पेंशन के भुगतान के उद्देश्य से विचार में नहीं लिया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंबोज कुमार सिन्हा ने कहा कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को बर्खास्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही के बीच अंतर मौजूद है। यह आग्रह किया गया था, चूंकि विनियम 46, विभागीय कार्यवाही को संदर्भित करता है, अपीलार्थी अपील के निर्धारण की तारीख तक अस्थायी पेंशन के भुगतान का हकदार था।

विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि पेंशन विनियमों के विनियम 42, 45 और 46 को एक साथ पढ़ा जाए, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि दोषी कर्मचारी अस्थायी पेंशन के भुगतान का हकदार था, पर निश्चित रूप से ऐसा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा केवल रोकने या उसका पुनरीक्षण के लिए पारित आदेश के अधीन होगा।

8. पेंशन विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) में कहा गया है कि दोषी कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा यदि उसे निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है या सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपीलार्थी-बैंक के एक अधिकारी की सेवाओं के नियम और शर्तें पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 द्वारा शासित होती हैं; विनियम 20(3) (iii) इस प्रकार है:-

> "20. सेवा की समाप्ति (3) (iii) जिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख पर सेवा में नहीं रहेगा, लेकिन कार्यवाही समाप्त होने और अंतिम होने तक अनुशासनात्मक कार्यवाही उसी तरह जारी रहेगी जैसे कि वह सेवा में था और उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित किया गया हो। संबंधित अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद कोई वेतन और/या भत्ता नहीं मिलेगा। कार्यवाही पूरी होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक वह सीपीएफ में अपने योगदान को छोड़कर सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का भी हकदार नहीं होगा।"

9. इस मामले में हमें प्रत्यर्थी के खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश की वैधानिकता या वैधता से सरोकार नहीं हैं। हमारे सामने मुद्दा छोटा है।

10. दोनों विनियमों को एक साथ पढ़ने पर विचारणीय प्रश्न उठता है कि क्या किसी विभागीय कार्यवाही को अनुशासनात्मक कार्यवाही कहा जा सकता है। वर्तमान विवाद के संदर्भ में हमें उक्त शब्द में कोई भेद नहीं दिखता।

11. पेंशन विनियम का विनियम 22 इस प्रकार है:-

"22. सेवा की जब्ती:- (1) बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी का इस्तीफा या बर्खास्तगी या निष्कासन या समाप्ति से उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी और परिणामस्वरूप वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा; (2) बैंक कर्मचारी की सेवा में रुकावट के कारण उसकी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, अर्थात्: -

(ए) अनुपस्थिति की अधिकृत छुट्टी;

(बी) निलंबन, जहां इसके तुरंत बाद बहाली होती है, चाहे वह समान या अलग पद पर हो, या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है या निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है;

(सी) सरकार या बैंक के नियंत्रण में किसी प्रतिष्ठान में गैर-अर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो;

(डी) एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के दौरान कार्यभार ग्रहण करने का समय।"

(3) उप-विनियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वव्यापी रूप से असाधारण छुट्टी के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

(4)(ए) सेवा रिकॉर्ड में इसके विपरीत किसी विशिष्ट संकेत के अभाव में, बैंक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के दो चरणों के बीच रुकावट को स्वचालित रूप से माफ कर दिया जाएगा और पूर्व-व्यवधान सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा;

(बी) खंड (ए) में कुछ भी इस्तीफे, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या हड़ताल में भाग लेने के कारण होने वाली रुकावट पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते कि हड़ताल में भाग लेने के कारण बैंक कर्मचारी की पिछली सेवा जब्त होने के संबंध में उसके सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने से पहले, ऐसे बैंक कर्मचारी को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जा सकता है।"

12. जब बर्खास्तगी या निष्कासन का आदेश पारित किया जाता है, तो विनियम 22 का खंड (1) लागू होगा। खण्ड (2) तभी लागू होगा जब सेवा में कोई रुकावट आयेगी।

13. किसी कर्मचारी की सेवाएँ वैध रूप से केवल एक बार ही समाप्त की जा सकती हैं। केवल इसलिए कि सेवाओं से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील प्रदान की गई है, वास्तव में इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह एनिमेटेड निलंबन के तहत रहेगा।

14. यह मुद्दा इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों में शामिल है। *सिंडिकेट बैंक लिमिटेड बनाम के आरवी भट्ट* : [1968] 1 एससीआर 327 में इस न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी या सेवामुक्ति का आदेश केवल एक बार पारित किया जा सकता है, भले ही उसके संबंध में अंतिम निर्णय कब आ जाए और अपीलीय प्राधिकारी इस पर विचार करता है कि क्या बर्खास्तगी के आदेश को कायम रखने या संशोधित करने की आवश्यकता है।

पीएच कल्याणी बनाम मैसर्स एयर फ्रांस कलकत्ता: [1964] 2 एससीआर 104 में इस न्यायालय ने पाया कि नियोक्ता द्वारा दिए गए दंड के आदेश का संचालन न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि पर निर्भर नहीं करता है।

16. हम यह भी देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने हाल के एक फैसले में, *रमेश चंद्र शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य* : 2007 (8) स्केल 240 में, सेवा विनियमों के साथ-साथ पेंशन विनियमों के दोनों प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राय:-

> "17. जहां पेंशन रोकने या वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाती है, वहां पेंशन विनियमों के विनियम 43 लागू होंगे। लेकिन उक्त विनियम के प्रावधानों को अगर पूरी तरह से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक अधिकारी पेंशन लाभ के

लिए पात्र नहीं होगा, यदि अन्य बातों के अलावा, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। विनियम 48 बैंक को पेंशन लाभ से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई करने का अधिकार देता है। अनुशासन और अपील विनियमों के विनियम 20(3)(iii) को पेंशन विनियमों के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। जहां कर्मचारी पेंशन विकल्पधारी हैं, वहां विनियम 48(1) लागू होगा। किसी भी स्थिति में, यदि किसी अधिकारी को (अनुशासन और अपील) विनियमों के विनियम 4 के तहत सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो बैंक को पेंशन विनियमों के विनियम 48 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके विनियम 22 लागू होंगे।इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में स्पष्ट त्रुटि की है।"

17. *चंद्रभान टेल* (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय बिल्कुल अलग तथ्यात्मक स्थिति में दिया गया था। उसमें विचार हेतु यह प्रश्न उठा कि क्या अपील लंबित रहने के दौरान भी जीवन निर्वाह भत्ता देय है। उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह माना गया कि निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उसमें कोई अनुपात निर्धारित किया गया था. सेवाओं से बर्खास्तगी पर, कर्मचारी उस तारीख से रोजगार

में रहना बंद कर देता है जिस तारीख को मूल आदेश पारित किया गया था, न कि अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख से, बेशक, इस शर्त पर कि मूल आदेश की पुष्टि की जाती है। .

18.*भारत संघ और अन्य बनाम जे. अहमद*: (1979) 2 एससीसी 286 पर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा रखा गया है। हमें तत्काल मामले में उक्त निर्णय की कोई उपयोगिता नहीं मिली है जो कि महज इस प्रस्ताव कि क्या कदाचार माना जाएगा पर निर्णय है

19. उपर्युक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है. लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

के.के.टी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।